



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20082020-221243
CG-DL-W-20082020-221243

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, अगस्त 9—अगस्त 15, 2020, शनिवार/श्रावण 18—श्रावण 24, 1942
No. 9] NEW DELHI, AUGUST 9—AUGUST 15, 2020, SATURDAY/SRAVANA 18—SRAVANA 24, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

का.नि.आ.12.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे पुस्तकालय समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे पुस्तकालय समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे पुस्तकालय समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची में :-

(क) सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी पद के सामने-

(i) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जायगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900—142400 रु.)”;

(ii) स्तंभ (11) में “9300—34800 रु के वेतनमान में वेतन बैंड 2 में 4200 रु के ग्रेड वेतन सहित” शब्दों, और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400—112400 रु)” में दोनों स्थानों जहां पर वे आते हैं शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को रखा जाएगा ;

(iii) स्तंभ (11) में निम्नलिखित टिप्पण का लोप किया जाएगा;

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1-1-2006, वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिश पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/ वेतन मान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके जहां एक या एक से अधिक, पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है। और जहाँ यह फ़ायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नति के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

टिप्पण : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 (वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(ख) पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद के सामने-

(i) स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जायगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-6 (35400—112400 रु.)”

[सं. 3014/ आरआर/ लाइव.स्टाफ/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/103/डी(नि०)/2020]

ए. एन. वेंकटाचला, अवर सचिव

पाद टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 में अधिसूचना सख्यांक का.नि.आ. सं 99, तारीख 19 नवंबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th June, 2020

S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, the Armed Forces Medical College, Pune, Library Group ‘B’ posts, Recruitment Rules, 2012, namely: -

- Short title and commencement.** —(1) These rules may be called Ministry of Defence, the Armed Forces Medical College, Pune, Library Group ‘B’ posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Ministry of Defence, the Armed Forces Medical College, Pune, Library Group ‘B’ posts, Recruitment Rules 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: -
“3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, classifications and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.”
- In the said rules, in the Schedule, -
(a) against the post of Assistant Library and Information Officer. -
(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 7 (Rs 44900 —142400)”;

(ii) in column (11), for the words and figures “in the scale of pay of Rs. 9300—34800 in PB-2 with Grade Pay of Rs.4200”, at both the places they occur, the words, figures and brackets “in Level 6 (Rs 35400—112400)” in the pay matrix” shall be substituted;

(iii) In column (11) the following Notes shall be omitted;

Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis, by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is normal replacement grade without any upgradation.

Note : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(b) against the post of Library and information Assistant –

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 6 (Rs 35400—112400)).”

[No. 3014/RR/Lib Staff/DGAFMS/DG-2B/103/ D(Appts)/2020]

A.N. VENKATACHALA, Under Secy.

Foot Note. - The principal rules were published vide notification number S.R.O. No. 99, dated the 19th November, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4.